

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/12-8(8)17/1987

दिनांक : 29/12/2017

निमित्त,

सचिव,
नगर विकास न्यास,
चित्तौड़गढ़

विषय : शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत देहली गेट से एन.एच. 79 वाया
मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण कार्य बाबत।
प्रसंग : आपका पत्रांक/तकनीकी/2017-18/3312 दिनांक 09.10.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत
देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु
वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया
जाने पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट
अनुसार दिनांक 26.12.2017 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में हस्ताक्षरित
निर्धारित प्रमाण पत्र पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी, राजस्व
(अति. कलक्टर, प्रशासन)
चित्तौड़गढ़

XLR
on 11.12.2017
29/12/17

FORM-I

(For linear projects)

**Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Chittorgarh**

N0.Rev./12-8(8)17/1386

Dated : 29-12-2017


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013, 5th July 2013 and 15th Jan 2014 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.740 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Urban Improvement Trust, Chittorgarh** (Name of User Agency) for laying of **Road Construction** (Purpose for diversion of forest land) Chittorgarh forest Range and Chittorgarh forest division of Chittorgarh District falls within jurisdiction of Gram Panchayat **Samelpura** villages **Chittorgarh, Manpura, Semalpura** (Forest Compartment **VANKHAND** Chittorgarh Aaraji no. 5 area **1.740 Hectare**) Chittorgarh tehsils, Chittorgarh District.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire total **1.740 Hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s); Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1,2 & 3 respectively.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Rawarda village is enclosed as annexure 1.
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the Gram Sabha present.
- the diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabha have given their consent to it ;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above


District Collector,
Chittorgarh



कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़


क्रमांक/राजस्व/12-8(8)17/1985


दिनांक : 29/12/2017


बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 26.12.2017 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला चित्तौड़गढ़ में नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा देहली गेट से एन.एच. 79 वाया मानपुरा सड़क के चौड़ाईकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिये 89,900 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित होने एवं इसमें से 17,400 वर्गमी. वन भूमि होने से उक्त भू भाग के लिये व्यववर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 17,400 वर्गमीटर का क्षेत्र भूमि व्यववर्तन (Diversion) की जानी प्रस्तावित है इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र ना होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित न होने से से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त वन खण्ड किला चित्तौड़गढ़ की 89,900 वर्गमीटर भू भाग के लिये वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से व्यववर्तन (Diversion) किये जाने की अनुशंसा की जाती है। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावे।


26.12.17
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, चित्तौड़गढ़


जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

N.P.
(सपना मीना)
सदस्य, जिला परिषद
(मनोनीत सदस्य जिला
स्तरीय वनाधिकारी समिति)

N.P.
(राजूलाल भील)
सदस्य, जिला परिषद
(मनोनीत सदस्य जिला
स्तरीय वनाधिकारी समिति)

N.P.
(गायत्री जोशी)
सदस्य, जिला परिषद
(मनोनीत सदस्य जिला
स्तरीय वनाधिकारी समिति)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज)

दिनांक 20/11/2017 89072333


दिनांक 20/11/17


उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण


आज दिनांक 20-11-2017 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित की गयी बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे।


1. उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार चित्तौड़गढ़
3. विकास अधिकारी प.स.चित्तौड़गढ़
4. रेंजर वनखण्ड चित्तौड़गढ़

बैठक में नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा शहरी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत देहली गेट से एन.एच. - 79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण कार्य कराये जाने की स्विकृति CSR में होने पर कार्य कराया जाना है। उक्त सड़क न्यास के प्रस्तावनुसार 6200 मीटर लम्बाई की है जिसमें आबादी एरीया राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ की आ. न. 1296, 1029, 1347 मेसे 500 मी. X 14.50 मी क्षेत्रफल 7250 वर्ग मीटर, राजस्व ग्राम वनखण्ड किला चित्तौड़गढ़ जंगलात की आ. न. 5 मे से 1200 X 14.50 मी क्षेत्रफल 17400 वर्ग मीटर, राजस्व ग्राम मानपुरा की आ. न. 730, 781, 985/714 मे से 3500 मी. X 14.50 मी क्षेत्रफल 50750 वर्ग मीटर एवं राजस्व ग्राम सेमलपुरा की आ. न. 1012, 37, 1310, 1332, 1332 मे से 1000 X 14.50 = 14500 वर्ग मीटर उपरोक्त आराजीयो में कुल क्षेत्रफल 6200 X 14.50 89900 वर्ग मीटर में सड़क का कार्य किया जाना है। उक्त भूमि में सड़क निर्माण न्यास द्वारा किये जाने में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में सड़क 5.50 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत होकर चालु है, न्यास द्वारा उक्त सड़क दोनों ओर से 2.50-2.50 मीटर चौड़ी करने एवं 2.00-2.00 मीटर चौड़ाई बर्म बनाने से कुल चौड़ाई 14.50 मीटर होगी उक्त सड़क निर्माण में ग्राम पंचायत सेमलपुरा से प्राप्त अनापत्ति अनुसार एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त सड़क प्रत्यावर्तन की भूमि में इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार हक पत्र जारी नहीं किये गये है। एवं डायवर्जन हेतु प्रस्तावित मोजुदा सड़क की भूमि पर वर्तमान में इस कार्यालय में वनाधिकार का कोई दावा लम्बित नहीं है। उक्त वर्णनीत आराजीयात में से रास्ते हेतु भूमि दी जाने पर समिति को कोई आपत्ति नहीं है समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव की अभिशप्ता करती है।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़


तहसीलदार
चित्तौड़गढ़


विकास अधिकारी
चित्तौड़गढ़


रेंजर
चित्तौड़गढ़

माननीय कमेटी सदस्य


अधिशर्षी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Mail to D.F.O. ^{Sir} Chittorgarh


ग्राम पंचायत सेमलपुरा


श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय
चित्तौड़गढ़ (राज.)


विषय :- शहरी जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत (C.S.R) देहलीगेट से N.H.
79 वाया मानपुरा सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण कार्य बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत के क्रम में निवेदन है कि यू.आई.टी. चित्तौड़गढ़ द्वारा शहरी जनसहभागिता योजना अन्तर्गत देहलीगेट से N.H. 79 वाया मानपुरा सड़क को दोनो साइड से 2.50-2.50 मीटर सड़क चौड़ी करना एवं डामरीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित होना अवगत कराया गया है। उक्त सड़क की कुल लम्बाई 6.20 कि.मी. में से लगभग 3500 मीटर लम्बाई मानपुरा राजस्व ग्राम एवं सेमलपुरा राजस्व ग्राम की 1000. मीटर की लम्बाई तथा प्रस्तावित सड़क चौड़ाई 14.50 मीटर ग्राम पंचायत सेमलपुरा की भूमि में से होकर गुजर रही है। उक्त मौजूदा सड़क के चौड़ी करने एवं डामरीकरण की जाती है तो ग्राम पंचायत सेमलपुरा को कोई आपत्ती नहीं है। सड़क भूमि प्रत्यावर्तन की आवेदित पंचायत भूमि में इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार हक पत्र जारी नहीं किया गया है। एवं डायवर्जन हेतु प्रस्तावित मौजूदा सड़क की भूमि पर वर्तमान में इस कार्यालय में वनाधिकार का कोई दावा लम्बित नहीं है। एवं न ही किसी प्रकार के दावे लम्बित है।


सरपंच
ग्राम पंचायत
सेमलपुरा
चित्तौड़गढ़


अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
चित्तौड़गढ़ (राज.)


सचिव
ग्राम पंचायत
सेमलपुरा
चित्तौड़गढ़